रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251591
CG-DL-E-24012024-251591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945

## रेल मंत्रालय

## (रेलवे बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

**सा.का.नि. 62(अ).—**राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल जन संपर्क विभाग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी, वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी और जन संपर्क अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य जन संपर्क अधिकारी, वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी और जन संपर्क अधिकारी भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम। | पद की संख्या। | वर्गीकरण। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। | चयन पद या अचयन पद। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| मुख्य जन संपर्क अधिकारी | 09* (2024)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | रेल सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर 12<br>(78800 - 209200 रुपये)। | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | (i) 20 % प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।<br><br>(ii) 80% प्रतिनियुक्ति द्वारा। | **प्रोन्नति:** वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रुपये) में श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो \|<br><br>**टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br><br>(1) अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष।<br><br>(2) अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अधिकारी:<br>(क) (i) जिन्होंने सदृश्य पद धारण किया हो; या<br>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 -208700 रुपये) में पांच वर्ष की सेवा की हो; और<br><br>(ख) जिनके पास किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम स्नातक डिग्री हो और जन संपर्क, पत्रकारिता या प्रचार कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव हो।<br>**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 'छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होगी। | | |

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। | चयन पद या अचयन पद। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी | 03* (2024)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | रेल सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 11 (67700 -208700 रुपए)। | चयन पद। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| दो वर्ष | शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। | **प्रोन्नति** : जन संपर्क अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रुपये) में श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो \|<br><br>**टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, | **(क). समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>(1). संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष;<br>(2). प्रबंध सेवा निदेशालय, रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक – सदस्य ; और<br>(3). ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अंतर्गत कार्यपालक निदेशक, सूचना एवं प्रचार, जिनके न हो सकने पर कार्यपालक निदेशक, स्थापन निदेशालय, रेलवे बोर्ड – सदस्य।<br><br>(ख). समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-<br>(1). प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक – अध्यक्ष; | प्रोन्नति द्वारा भर्ती किए जाने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | (2). संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी – सदस्य; और<br>(3). संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी विभाग (उपर्युक्त क्रम संख्या 1 और 2 पर सूचीबद्ध किए गए अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभागों से भिन्न) के उच्चत्तर प्रशासनिक श्रेणी या ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी – सदस्य | |

| पद का नाम। | पद की संख्या। | वर्गीकरण। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। | चयन पद या अचयन पद। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं । |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3. जन संपर्क अधिकारी | 52* (2024)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | रेल सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर 8<br>(47600-151100 रुपए). | चयन। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | दो वर्ष। | शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। | **प्रोन्नति :** रिक्तियां निम्नलिखित समूह 'ग' कर्मचारी , जो श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपए) में कार्य कर रहे हों, में से चयन के माध्यम से (जिसमें एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा और सेवा | **(क). समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रिकॉर्ड का आकलन शामिल होगा) प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी :<br><br>(क) वरिष्ठ प्रचार या विज्ञापन निरीक्षक<br>(ख) प्रोजेक्शनिस्ट<br>(ग) मुख्य फोटोग्राफर<br>(घ) उत्पादन सहायक<br>(ङ) वीडियो ऑपरेटर-सह-फोटोग्राफर<br><br>और;<br><br>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रुपए) में कार्यरत मुख्य प्रचार या विज्ञापन निरीक्षक, जिन्होंने श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो।<br><br>**टिप्पण 1** : उस दशा में जहां कनिष्ठ व्यक्तियों को सुसंगत न्यूनतम सेवा शर्तों के पूरा होने के आधार पर चयन के लिए आमंत्रित किया जाता है, वहां उसके सभी ज्येष्ठ स्वतः ही पात्र हो जायेंगे चाहे वे सुसंगत न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करते हों या नहीं।<br>**टिप्पण 2:** रेल पहिया कारखाना उत्पादन इकाई, जिसे दक्षिण रेलवे के साथ उपाबद्ध किया जाएगा, के सिवाय प्रत्येक क्षेत्रीय रेल एवं उत्पादन इकाई चयन के प्रयोजन के लिए एक पृथक और स्वतंत्र इकाई होगी।<br>**टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद में अधिकारियों की अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख से तैयार की जाएगी। | (1). प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक - अध्यक्ष;<br><br>(2). संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी – सदस्य; और<br><br>(3). मुख्य जनसंपर्क अधिकारी – सदस्य, यदि वे ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में हों, या संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी विभाग के अन्य ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी (उपरोक्त क्रम संख्या 1 एवं 2 पर सूचीबद्ध अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विभाग से भिन्न)।<br><br>**(ख). समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगेः-**<br><br>(1). प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक – अध्यक्ष<br><br>(2). संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी – सदस्य; और<br><br>(3). मुख्य जन संपर्क अधिकारी – सदस्य, यदि वे ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में हों, या संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी विभाग के अन्य ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी (उपरोक्त क्रम संख्या 1 एवं 2 पर सूचीबद्ध अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विभाग से भिन्न)। | |

[फा. सं. 2002/ई(जी)आरआर/16/5]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

**MINISTRY OF RAILWAYS**

**(Railway Board)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2024

**G.S.R. 62(E).—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways Public Relations Department (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Public Relations Officer, Senior Public Relations Officer and Public Relations Officer of the Indian Railways, namely :-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chief Public Relations Officer, Senior Public Relations Officer and Public Relations Officer Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in pay matrix.–** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.–** No person, –

(a)who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Savings.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Level in the pay matrix. | Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.Chief Public Relations Officer | 09* (2024)<br>*Subject to variation dependent on workload. | Railway Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level 12<br>(Rs. 78800-209200). | Selection. | Not applicable. | Not applicable | Not applicable |

| Period of probation if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment. |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | (i) 20% by promotion failing which by deputation.<br><br>(ii) 80% by deputation. | **Promotion:** Senior Public Relations Officers in level 11 (Rs. 67700 -208700) in the pay matrix with five years' regular service in the grade.<br>**Note:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union Territories Administration:<br>(a) (i) holding analogous posts; or<br>(ii) with five years' service in level 11 (Rs. 67700 -208700) in the pay matrix; and<br>(b) possessing at least bachelor degree of a recognized University/ Institute and five years experience of public relations, journalistic or publicity work. | **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br><br>(1). Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board – Chairman.<br><br>(2). Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed four years.<br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of the receipt of the applications. | | |

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Level in the Pay Matrix. | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.Senior Public Relations Officer. | 03* (2024)<br>* Subject to variation dependent on workload | Railway Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level 11 (Rs. 67700 - 208700). | Selection. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| Period of probation if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment. |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Two years | 100 per cent by promotion. | Promotion: Public Relations Officers in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with eight years regular service in the grade. | **(A). Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-**<br>(1). Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairman; | Consultation with Union Public Service Commission |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | (2). Executive Director of Management Services Directorate, Railway Board – Member; and<br>(3). Executive Director Information and Publicity in Senior Administrative Grade failing which Executive Director in Establishment Directorate, Railway Board – Member.<br><br>**(B). Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:**<br>(1). Principal Chief Commercial Manager– Chairman;<br>(2). Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and<br>(3). Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than Departments represented by officers listed at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member | necessary while making recruitment by promotion. |

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Level in the Pay Matrix. | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3. Public Relations Officer | 52* (2024)<br><br>* Subject to variation dependent on workload | Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial. | Level 8<br>(Rs. 47600-151100). | Selection. | Not applicable. | Not applicable. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Two years. | 100 per cent by promotion. | **Promotion:** The vacancies shall be filled by promotion through selection (which will include a written test, a viva-voce and assessment of record of service) from amongst the following group 'C' staff working in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with six years regular service in the grade:<br><br>(a) Senior Publicity or Advertising Inspector<br>(b) Projectionist<br>(c) Chief Photographer<br>(d) Production Assistant<br>(e)Video-Operator-cum-Photographer<br><br>and;<br><br>Chief Publicity or Advertising Inspector working in level 7 (Rs. 44900-142400) in pay matrix with two years regular service in the grade. | (**A). Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of:**<br><br>(1). Principal Chief Commercial Manager–Chairman;<br><br>(2). Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and<br><br>(3). Chief Public Relations Officer – Member, if he is in Senior Administrative Grade, or any other Senior Administrative Grade level Officer of any Department (other than the Departments represented by Officer at Serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Units.<br><br>(B). Group 'B' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of: | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Note 1**: In case a junior employee is called for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all his seniors should be held to be automatically eligible irrespective of whether or not they satisfy the relevant minimum service conditions.<br><br>**Note 2**: For the purpose of selection each Zonal Railway and Production Unit will be a separate and independent unit except Rail Wheel Factory production unit which will be attached with Southern Railway.<br><br>**Note 3:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the qualifying service in the respective grade or post. | (1). Principal Chief Commercial Manager– Chairman<br><br>(2). Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member<br><br>(3). Chief Public Relations Officer – Member, if he is in Senior Administrative Grade, or any other Senior Administrative Grade level Officer of any Department (other than the Departments represented by Officer at Serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Units. | |

[F. No. 2002/E(G)RR/16/5]

ANVITA SINHA, Executive Director, Estt.(Gaz. Cadre)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.